न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2024/533
मुकदमा नम्बर 186/2024 दर्ज दिनांक– 05.12.2024

जमनाराम पुत्र अर्जुनराम जाति मेघवाल निवासी परसरामपुरा ,तहसील व जिला झुझुंनू
–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़
–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री सज्जन चाहर
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 07.01.2025**

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम नया परसरामपुरा पटवार हल्का परसरामपुरा की सरहद में स्थित खाता सं. नया 4 पुराना 5 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1301 रकबा 0.07 है0, खसरा नं. 1309 रकबा 1.01 है0, खसरा नं. 1311 रकबा 0.17 है0, खसरा नं. 1312 रकबा 0.28 है0, खसरा नं. 1313 रकबा 1.15 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.68 है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम जमनलाल पुत्र अर्जुन की जगह जमनाराम पुत्र अर्जुन राम दर्ज व दुरूस्त किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक की जारी की गई। अनावेदक की और से पैरो. राज. उपस्थित । बहस वकील आवेदक द्वारा पेश करने पर बगौर सुनी गई। वकील आवेदक ने पत्रावली के साथ संलग्न पटवारी व भू.अ.निरीक्षक की रिपोर्ट,फर्द पंचनामा,शपथ पत्र जमनाराम,व अन्य दस्तावेजों का हवाला देते हुये प्रा. पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से आवेदक का प्रा. पत्र बाबत् दुरूस्ती साबित है। जिसके अनुसार रिकार्ड दुरूस्त किया जाना उचित जाहिर होता है।

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय और न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम ग्राम नया परसरामपुरा पटवार हल्का परसरामपुरा की सरहद में स्थित खाता सं. नया 4 पुराना 5 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1301 रकबा 0.07 है0, खसरा नं. 1309 रकबा 1.01 है0, खसरा नं. 1311 रकबा 0. 17 है0, खसरा नं. 1312 रकबा 0.28 है0, खसरा नं. 1313 रकबा 1.15 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.68 है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम जमनलाल पुत्र अर्जुन की जगह जमनाराम पुत्र अर्जुन राम दर्ज व दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।
पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय/आदेश आज दिनांक **07.01.2025** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू